

राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लयि गए कई महत्त्वपूर्ण नरिणय

चरचा में क्योँ?

30 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजति हुई, जसिमें नवीन ज़िलों के गठन पर चरचा, वदियालयों में संवधिान की उददेशिका एवं मौलकि कर्तव्यों का पाठन, कार्मकों के हति में प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबध में कई महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन ज़िलों के गठन के लयि बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रपिर्ट पर चरचा हुई। इन नवीन ज़िलों से राज्य के वकिस को एक नई गति मल्लिगी तथा आमजन की सुगमता बढेगी। वकिस संबंधी योजनाओं का क्रयिान्वयन और मॉनिटरिगि अधिक प्रभावी ढंग से होगी, जसिसे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुवधिाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मलि सकेगा।
- वदिति है कि इस बार के बजट में 19 ज़िलों की घोषणा की गई थी। इस क्रम में रामलुभाया समति द्वारा प्रस्तुत की गई रपिर्ट, वभिन्नि क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट द्वारा आंकलन कर सीमा नरिधारण के संबध में चरचा की गई।
- मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक वदियालय में संवधिान की उददेशिका एवं मौलकि कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का नरिणय लयि गया है।
 - इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी का देश के महान संवधिान, लोकतंत्र एवं राष्ट्रियता पर वशिवास तथा गर्व और अधिक सुदृढ हो सकेगा। पाठन वदियालयों में प्रतशिानवार 'नो बैग डे' कयि जाएगा।
 - नई प्रकाशति होने वाली पाठ्यपुस्तकों में भी संवधिान की उददेशिका एवं मौलकि कर्तव्यों को प्रकाशति कयि जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने 'दी राजस्थान आईएलडी सकलिस यूनरिर्सति, जयपुर (चेंज ऑफ नेम एंड अमेंडमेंट) बलि-2023' के प्रारूप को मंजूरी देते हुए राजस्थान आईएलडी सकलिस यूनरिर्सति का नाम 'दी वशि्वकरमा सकलिस यूनरिर्सति' करने का नरिणय लयि है।
 - इससे कुलपति की नयिकृति प्रक्रयिा, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गठन और नए प्रावधानों के लयि ऑर्डरिंस लाने आदि की प्रक्रयिा शुरु हो सकेगी।
 - इस नरिणय से वशि्ववदियालय का कार्य सुगमता और त्वरति गति से हो सकेगा। मंत्रिमिण्डल की इस स्वीकृति से यह वधििक वधिानसभा में प्रस्तुत कयि जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीकृति वेतन) नयिम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मकि की पदोन्नतयि एसीपी लगने पर पदोन्नतयि पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नयित हो सकेगा। इससे कार्मकि के वेतन में वृद्धि होगी।
 - साथ ही, वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तथियिों (1 जनवरी और 1 जुलाई) नरिधारति की गई है। इससे कार्मकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मलि जाएगी। इन संशोधनों से वभिन्नि सेवाओं के पदनाम भी सेवा नयिमों के अनुरूप हो जाएंगे।
- मंत्रिमंडल ने राजकीय सेवाओं में प्रदेश के अभ्यरथियिों को अधिक-से-अधिक नयिोजति करने और शीघ्रलपि में दक्ष अभ्यरथी उपलब्ध कराने के उददेशय से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लपिकिवरगीय सेवा नयिम 1999, राजस्थान सचविालय लपिकिवरगीय सेवा नयिम 1970 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (लपिकिवरगीय एवं अधीनस्थ सेवा) नयिम और वनियिम 1999 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
 - इसके अंतर्गत शासन सचविालय, अधीनस्थ कार्यालयों एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबधति मंत्रालयकि सेवा नयिमों में शीघ्रलपिकि/नजि सहायक ग्रेड-II के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने का प्रावधान कयि गया है।
 - साथ ही, फेज-II के लयि वजिजापति पदों में 15 गुणा वदियारथियिों को सम्मलिति करने तथा शीघ्रलपिकि वेटेज देने संबंधी प्रावधान भी कयि गए हैं।
- मंत्रिमंडल ने महिला राजकीय कार्मकों को गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण पर होने वाली परेशानयिों से राहत देने के लयि राजस्थान सविलि सर्वसैज (अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन) रूलस, 1958 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कयि है।
 - उक्त संशोधन से महिला राजकीय कर्मचारी, जसिको राजकीय आवास आवंटति कयि जा चुका है, वह उस आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य करिए पर रख सकेगी।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान उदयिग सेवा नयिम-1960, राजस्थान उदयिग अधीनस्थ सेवा नयिम-1966 एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतयिी परीक्षा द्वारा सीधी भरती नयिम-1999) में परिशिष्ट 'च' में संशोधन कर इनमें 'उदयिग वभिग' का नाम 'उदयिग एवं वाणजिय वभिग' करने का नरिणय लयि है। नाम परिवर्तन होने से वभिग के अधिकारियिों का पदनाम भी संशोधति हो जाएगा।

